

**झारखंड सरकार**  
**जल संसाधन विभाग।**

का.आ.सं.-8 / ज.सं.(नि.)राँची-20 / 2013:-..... / राँची, दिनांक:-.....

**कार्यालय आदेश**

श्री नसीम अहमद, तत्कालीन सहायक अभियंता, जलपथ अंचल, गुमला के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही संकल्प संख्या 7482 दिनांक 11.12.13 के सापेक्ष जाँच पदाधिकारी मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची के ज्ञापांक 458 दिनांक 13.02.2014 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के सम्यक् समीक्षोपरान्त विभाग ने श्री अहमद को निलम्बन मुक्त करते हुए आरोप से मुक्त करने का निर्णय लिया है।

2. उक्त निर्णय पर माननीया विभागीय मंत्री महोदया का अनुमोदन प्राप्त है।
3. एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह0 / -

(डॉ.लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:- 1053 / राँची, दिनांक:- 28-5-14 /

प्रतिलिपि:-माननीया मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव (प्र.), जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना आयोजन एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखंड राँची/श्री नसीम अहमद, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता कार्यालय, योजना आयोजन एवं मोनिटरिंग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डॉ.लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव।

28.5.14